न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी	:	**श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0**
राजस्व वादपत्र संख्या	:	**36/2019 (220/2008)**
G.C.M.S. No.	:	**2019/00145**

वादीया/अप्रार्थीः–	**बनाम**	**प्रतिवादीगण/प्रार्थीः–**
1. किन्यादेवी पत्नी मोहनलाल जाति– माली, निवासी– चावण्डिया, तहसील जैतारण जिला–पाली।		1. मिसराई पुत्री उदाराम 2. अणचाई पुत्री उदाराम जाति माली निवासी चावण्डिया 3. ललिता पत्नी ओमप्रकाश जाति रावणा राजपूत निवासी बासनी कवियान तहसील रायपुर जिला पाली।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी.

तारीख रजू 22/09/2008

उपस्थितः– 1. श्री चुतराराम भाटी, अधिवक्ता, वादीया/अप्रार्थी।
2. श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण/प्रार्थी।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 29/04/2022**

वकील प्रतिवादी/प्रार्थी संख्या 3 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11(डी) सी.पी.सी. विरूद्ध वादीया/अप्रार्थी इस आशय का बिन्दुवार प्रस्तुत किया कि दावा में वर्णित दोनों पक्षकारान की बेचान रजिस्ट्रीयों में नम्बर सही अंकित है। पुराना खसरा नम्बर 471/608/4 वाद ने अपने रजिस्ट्री व रेकर्ड में अंकित करने हेतु दावा किया है। परन्तु 22/11/2005 को रेकर्ड दुरस्ती की जा चुकी है जिसकी प्रति जवाब दावे के साथ पेश कर दी गई है। उसी से बेचान रजिस्ट्रीयों में नम्बर सही अंकित हो। अतः दावा बाई बाई–लॉ होने से व कॉज ऑफ एक्शन वादी को पैदा नहीं होनें से दावा खारिज करावें।

वादीया/अप्रार्थीया ने जवाब प्रार्थना पेश किया जो सा.मि. है। वादीया/अप्रार्थीया ने जवाब प्रार्थना–पत्र में कथन किया है कि प्रार्थना–पत्र का पद संख्या एक गलत होने से अस्वीकार है। बैचान रजिस्ट्रीयों में खसरा नम्बर सही अंकित नहीं है। दिनांक 22/11/2005 को रेकर्ड दुरूस्ती नहीं की गई है। वादीया द्वारा घोषणा का ही वाद प्रस्तुत है। प्रतिवादी संख्या 3 ने गलत रूप से दरख्वास्त पेश की है जो कानूनन चलने काबिल नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादी संख्या 3 की दरख्वास्त सारहीन होने से खारिज फरमावें।

हमनें प्रार्थना पत्र प्रतिवादी/प्रार्थी संख्या 3 अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11(डी) सी.पी.सी. पत्रावली मय वाद-पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र एवं संगत विधिक प्रावधनों का गहनता से अध्ययन किया, पत्रावली के अवलोकन एवं विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णय इस प्रकार हैः–

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.26 16:54:47 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली)

1. प्रार्थी/प्रतिवादी ने हस्तगत प्रार्थना–पत्र में यह कथन किया कि दोनों पक्षकारानों की बेचान रजिस्ट्री में नम्बर सही अंकित है। वादी ने पुराने खसरा नम्बर 471/608/4 को रजिस्ट्री व रेकर्ड में अंकन करने हेतु दावा किया है जबकि बेचान रजिस्ट्रीयों में रेकर्ड दुरुस्ती अनुसार खसरे नम्बर सही अंकित किये है। अतः वादी को कॉज ऑफ एक्शन पैदा नहीं होने से दावा खारिज करने हेतु निवेदन किया है।

2. व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 07 नियम 11 में निम्नानुसार विधिक प्रावधान हैः–

वादपत्र निम्नलिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जाएगा–

(क) जहाँ वह वाद–हेतूक प्रकट नहीं करता है;

(ख) जहाँ दावाकृत अनुतोष का मूल्याकंन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करनें के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जानें पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करनें में असफल रहता है;

(ग) जहाँ दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तू वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प–पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित किए जाने पर उस समय भीतर, जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहात है;

(घ) जहॉ वादपत्र में के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है;

[1]((ङ.) जहॉ वह डुप्लीकेट फाईल नहीं किया गया है;)

[1]((च) जहॉ वादी 9 नियम की अनुपालना करने में असमर्थ रहा है;)

3. वाद–पत्र का अवलोकन किया गया। वाद–पत्र के पैरा संख्या 6 में वादिया ने यह कथन किया कि ''बिनाय दावा दिनांक 26.08.2008 को जब जमाबंदी की नकल देखने पर ज्ञात हुआ कि राजस्व रेकर्ड में खसरा नम्बर 471/608/4 की जगह खसरा नम्बर 611/471 दर्ज होने पर बमुकाम चावण्डिया में पैदा हुआ।'' पत्रावली पर उपलब्ध विक्रेता अणचाई देवी (प्रतिवादी संख्या 2) व क्रेता किन्या देवी (वादीया) के मध्य निस्पादित बेचान रजिस्ट्री दिनांक 05/07/2008 की प्रति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादीया को वादग्रस्त आराजी के वक्त बेचान दिनांक 05/07/2008 को खसरा संख्या 611/471 की भली–भांति जानकारी थी, चुंकि उक्त बेचान दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर वादीया किन्या देवी के अंगुष्ठ निशान अंकित है। उक्त बेचान दस्तावेज में क्रेता विक्रेता के पूर्ण होश–हवाश में लिखा पढ़ा सुन समझकर तहरीर व तकमील करना अंकित है। साथ ही वादीया ने वाद–पत्र में यह कथन किये कि वादीया के पक्ष [illegible] की गई उसमें माफिक चालू जमाबंदी से खसरा नम्बर लिये [illegible]। [illegible] वादीया द्वारा वाद पत्र के पैरा संख्या 6 में तथाकथित [illegible] कारण [illegible] होने की दिनांक 26/08/2008 अंकित की हुई है जो [illegible]निक अंकित किया जाना प्रतीत होता

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.26 15:54:47 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली)

है। जबकि उक्त खसरा संख्या की जानकारी पूर्व से ही वादीया को थी। पत्रावली पर प्रतिवादी द्वारा खसरा संख्या शुद्धि पत्र की प्रति के अवलोकन से प्रार्थी/प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा हस्तगत प्रार्थना–पत्र में किये गये कथन पुष्ट होते है।

4. अतः हस्तगत वाद में किसी अन्य तथ्य पर टिप्पणी किये बिना केवल वादपत्र के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट होता है कि वादीया द्वारा हस्तगत वाद–पत्र में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विरूद्ध वाद–कारण उत्पन्न होने के संबंध में वाद–पत्र में कहीं भी कोई कथन नहीं किया है। केवल जमाबंदी की नकल लेना वाद–हेतुक बताया गया है। अतः वादीया द्वारा वाद–पत्र में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विरूद्ध किस प्रकार वाद हेतुक प्रकट हुआ इसका कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि वादीया द्वारा हस्तगत वाद में प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद–पत्र में वाद कारण प्रकट नहीं किया है व न ही उत्पन्न हुआ है तथा वाद–पत्र में काल्पनिक तारीखें अंकित की गई है।

अतः वाद कारण के अभाव में प्रार्थी/प्रतिवादी की प्रार्थना स्वीकार की जाकर वाद–पत्र वादीया नामंजूर किया जाना उचित एवं विधिसंगत रहेगा।

–:: आदेश::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में यह स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी/प्रतिवादी अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. भली–भांति साबित होने से स्वीकार किया जाता है। वाद–पत्र वादीया राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में वादीया द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद–कारण प्रकट नहीं करने व वाद कारण उत्पन्न नहीं होने से खारिज किया जाता है। डिक्री पृथक से बनाई जाकर सा0मि0 हो। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज0

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 29/04/2022 को सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.26 15:54:47 IST
Reason: SelfAttested

प्राथमिक डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 20 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) अधिकारी, जैतारण
बईजलास :– श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0

वादीया/अप्रार्थीः– बनाम प्रतिवादीगण/प्रार्थीः–

1. किन्यादेवी पत्नी मोहनलाल
   जाति– माली, निवासी–
   चावण्डिया, तहसील जैतारण
   जिला–पाली।

1. मिसराई पुत्री उदाराम
2. अणचाई पुत्री उदाराम
   जाति माली निवासी चावण्डिया
3. ललिता पत्नी ओमप्रकाश
   जाति रावणा राजपूत निवासी बासनी
   कवियान तहसील रायपुर जिला पाली।

मु0न0 :रा0वा0 स0: 36/2019 (220/2008)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी.

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....–..... व हाजरी श्री चुतराराम भाटी, अधिवक्ता, वादीया मिनजानिब मुद्धई व श्री चावण्डदान बारहठ, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी/प्रतिवादी अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. भली–भांति साबित होने से स्वीकार किया जाता है। अतः वाद–पत्र वादीया अन्तर्गत धारा 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में वादीया द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद–कारण प्रकट नहीं करने व वाद कारण उत्पन्न नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर, संख्या से कम होते हुए दाखिल दफ़्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत.....–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 29/04/2022 को जारी किया गया ।

मोहर

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण
जिला–पाली (राज0)

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2	00	स्टाम्प वकालतनामा	4	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी	3	00
स्टाम्प वजह सबूत	6	00	महनताना वकील	0	00
महनताना वकील	0	00	खर्चा गवाहान	0	00
खर्चा गवाहान	12	00	फीस कमीश्नर	0	00
फीस कमीश्नर	0	00	बाबत ईजराय हुक्मनामा	0	00
बाबत ईजराय हुक्मनामा	0	00	मुत्फरिक	0	00
मिजानः–	21	00	जानः–	7	00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकैन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.26 15:54:47 IST
Reason: SelfAttested